संचिका सं0–15/डी0 एल0 ए0–पटना (मीठापुर पहुंच पथ) –24/2012–3085/रा0 पटना, दि0–28/12/2012

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अर्जन निदेशालय)
अधिसूचना

पटना, दिनांक..

सं0 .... रा0 चूँकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि म्युनिश्पल वार्ड नं0– 03, सीट नं0– 11, 12, 16, 17, थाना– जक्कनपुर, जिला पटना में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात मीठापुर उपरी पुल के करबिगहिया के तरफ से पहुँच पथ निर्माण हेतु सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है। इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त वार्ड नं0–03, सीट नं0– 11, 12, 16, 17, के भीतर का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप से कम–वेश 0.5736 एकड़ के बराबर होता है और जिसका सर्वे म्युनिस्पल खेसरा संख्या– 11 12, 13, 19, 202, 371, 372, 373, 375, 378, 425, 426, 428, 429, 430, 432, एवं 447 सभी अंश भाग वो सर्वे म्युनिश्पल खेसरा संख्या– 15, 16, 20, 198, एवं 427 सभी पूर्ण भाग है। जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है –

सीट नं0–11

उत्तर : सर्वे म्युनिश्पल खेसरा संख्या– 13, 14, 12, 11, 7 सभी अंश भाग।
पूरब : सीट नं0– 7 का सिमाना।
दक्षिण : सीट नं0– 12 का सिमाना।
पश्चिम : सीट नं0– 12 का सिमाना।

सीट नं0– 12

उत्तर : म्युनिश्पल खेसरा संख्या– 19
पूरब : सीट नं0–11 का सिमाना।
दक्षिण : म्युनिश्पल खेसरा संख्या– 21
पश्चिम : म्युनिश्पल खेसरा संख्या– 18, 250

सीट नं0– 16

उत्तर : सीट नं0– 17 का सिमाना।
पूरब : म्युनिश्पल खेसरा संख्या– 202 एवं सीट नं0– 17 का सिमाना
दक्षिण : म्युनिश्पल खेसरा संख्या– 200, 202 का सिमाना।
पश्चिम : म्युनिश्पल खेसरा संख्या– 199 एवं सीट नं0– 12, का सिमाना।

सीट नं0– 17

उत्तर : म्युनिश्पल खेसरा 372, 371, 373, 375 378 सभी अंश भाग।
पूरब : म्युनिश्पल खेसरा संख्या– 425, 426, 447, सभी अंश भाग।
दक्षिण : म्युनिश्पल खेसरा संख्या– 428, 429, 430, 432 सभी अंश भाग।
पश्चिम : म्युनिश्पल खेसरा संख्या– सीट नं0– 12, का सिमाना।

यह अधिसूचना, अधिनियम 1, 1894 की धारा 4 के उपबंधों के अधीन जैसा कि बिहार अधिनियम 11 सन् 1961 द्वारा संशोधित हुआ है उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है जिसका इससे संबंध हो।

भूमि का नक्शा भू–अर्जन पदाधिकारी पटना के कार्यालय में देखा जा सकेगा। बिहार सरकार जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पटना और उनके कर्मचारियों तथा इस परियोजना से संबंद्ध प्रारम्भिक अनुसंधान में तत्समय लगे कार्यपालक अभियंता नई राजधानी पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग पटना एवं इरकान इंटरनेशनल लिमिटेड के पदाधिकारियों और कर्मचारियों को भूमि पर जाने और उसका सर्वेक्षण करने तथा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा उपधारा (2) में यथा उपबंधित या विनिर्दिष्ट अपने कार्य के समुचित निष्पादन के लिए अपेक्षित अन्य सभी कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

उक्त अधिनियम की धारा 17(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार ने निश्चय किया है कि परियोजना की शीघ्रता को ध्यान में रखते हुए अधिनियम की धारा 5A के उपबंध लागू नहीं होंगे।

समाहर्त्ता,
पटना।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक संख्या–15/डी0 एल0 ए0–पटना (मीठापुर पहुंच पथ) –24/2012 – 3085/रा०
दि० – 28-12-12

प्रतिलिपि 1. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को तीन प्रतियों के साथ दो दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पटना को शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 2. प्रभारी उप समाहर्त्ता, जिला गजट, समाहरणालय, पटना को जिला गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशनोपरान्त उक्त की 10 (दस) प्रतियां जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पटना को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 3. आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/समाहर्त्ता, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 4. समाहर्त्ता/अपर समाहर्त्ता तथा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 5. आई0 टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

27/12/12

(नरोत्तम प्रसाद सिंह)
सरकार के अवर सचिव।